आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

400

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| nidi 6.—                                | 70 0 01       | -× +                                      | कहाँ को                                       | अभ्युक्ति            |
|---|---------------|---|---|----------------------|
| नाम / पदनाम                             | नियुक्ति तिथि | कहाँ से                                   | 4/61 4/1                                      |                      |
| 1                                       | 2             | 3   | 4   | A                    |
| श्रीमती माधवी देवी,<br>स0अ0-गृह विज्ञान | 01.06.2021    | पं0 दयाशंकर इण्टर<br>कालेज भैंसौली फतेपुर | श्री तुलसी इण्टर<br>कालेज राजापुर<br>चित्रकूट | रिक्त पद<br>के प्रति |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

5436-45 पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त दी जाय। स्थानान्तरित तुरंत कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सुनिश्चित करें। सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली। 6-

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

399

/2024-25 दिनांक 2 8

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम                                     | नियुक्ति तिथि | कहाँ से  | कहाँ को                                | अभ्युक्ति            |
|---|---------------|--|--|----------------------|
| 1   | 2             | 3  | 4                                      | 5                    |
| श्री राकेश कुमार मिश्र,<br>स0अ0—सामा0 विज्ञान |               | जिला पंचायत इण्टर<br>कालेज बिजुवां<br>लखीमपुर खीरी | चित्रकूट इण्टर कालेज<br>कर्बी चित्रकूट | रिक्त पद<br>के प्रति |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

5426-35 पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त दी जाय। स्थानान्तरित ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी सूचनार्थ प्रेषित। पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सुनिश्चित करें। सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य। 4-

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली। 6-

(र्रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

390

/ 2024-25 दिनांक 2 % जून, 2024

रथानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथारांशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 विनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर गाध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख रतम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम                             | नियुक्ति तिथि | कहाँ से   | कहाँ को                                  | अभ्युक्ति            |
|---|---------------|---|--|----------------------|
| 1                                       | 2             | 3   | 4  | 5                    |
| श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा,<br>प्रवक्ता | 01.3.2019     | महन्थ त्रिवेणी पर्वत<br>इण्टर कालेज<br>विशुनपुरा बाजार<br>देवरिया | नेशनल इण्टर कालेज<br>मौदहा रागौल हमीरपुर | रिक्त पद<br>के प्रति |

#### सूरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

5416-25

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेपित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतू निर्देशित करें। कार्यमुक्त ग्रहण करने की सुचना निदेशालय को तरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतू अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तृति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भूगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली। 6-

> (रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०. प्रयागराज ।

आवेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

/2024-25 विनांक 2 %

रथानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथारांशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गरी अनुगति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी ब्यय पर उनके नाम के सम्भूख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतव्ह्यास स्थानान्तरित किया

| नाम/पदनाम                 | नियुवित तिथि | कहाँ से                               |   |                           |
|---------------------------|--------------|---------------------------------------|---|---------------------------|
| ।<br>भी प्रमोद कुमार सिंह | 2            | 3                                     | कहाँ को   | अभ्युवित                  |
| 4000<br>4000              | 09.7.2013    | आवर्श किसान इण्टर<br>कालेज भभुआ बांदा | 4<br>स्व0 लाला भाई पटेल<br>इण्टर कालेज कपना<br>इटौरा चित्रकृट | ह<br>रिक्त पर<br>के प्रति |

सुरेन्त्र कुगार तिवारी अपर शिक्षा निवेशक (माठ) उत्तर प्रवेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 5406-15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यभुक्त कर रथानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्वेशित करें। कार्यभुक्त ग्रहण करने की सूचना निवेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की रोवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित रोवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना शुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निवेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आवेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयवित्तक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निवेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविद्धियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

( रागचेत ) उप शिक्षा निवेशक(मा0-3) शिक्षा निवेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

396

/2024-25 दिनांक

जन, 2024

#### स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम                        | नियुक्ति तिथि | कहाँ से                                    | कहाँ की                       | 5               |
|------------------------------------|---------------|--|-------------------------------|-----------------|
| 1                                  | 2             | 3  | 4                             |                 |
| श्रीमती पूजा निगम<br>सहायक अध्यापक | 20-02-2021    | बृजरतन सुंदर आर्य कन्या<br>इंटर कालेज संभल | आर्य कन्या इटर<br>कालेज बांदा | रिक्ति के प्रति |

स्रेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

5396 - 5 405 / 2024-25 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल पु०सं०:सामान्य(१)तृतीय / कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निर्देशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानांतरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानांतरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानांतरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानांतरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- संबंधित प्रबंधक / प्रधानाचार्य।
- 5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

( ग्रमचित ) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

395

/2024-25 दिनांक 2 कि

जून, 2024

रथानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या– संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से

| 1                                      | नियुक्ति तिथि<br>2 | कहाँ से                                    | कहाँ को                         | अभ्युक्ति       |
|--|--------------------|--|---------------------------------|-----------------|
| 0 \                                    |                    | 3  | 4                               | 5               |
| श्री महेश कुमार वर्मा<br>सहायक अध्यापक | 12-11-2018         | एल0बी0एस0 इंटर<br>कालेज जलेसर रोड<br>हाथरस | जनता इंटर कालेज<br>खुरहंड बांदा | रिक्ति के प्रति |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

5386-95 पु०सं०:सामान्य(१)तृतीय /

/ 2024-25 तददिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निर्देशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानांतरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानांतरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेत् अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानांतरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानांतरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबंधक / प्रधानाचार्य।

5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय.उ०प्र०. प्रयागराज।

S. S. Sales

PAREN TIE

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

394

/2024-25 दिनांक 2 8

जून, 2024

#### स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या— संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय / इण्टर कालेज के निम्निलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

| नाम / पदनाम                       | नियुक्ति तिथि | कहाँ से                               | कहाँ को                        | अभ्यक्ति        |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1                                 | 2             | 3                                     | 4                              | 5               |
| श्रीमती शशिप्रभा<br>सहायक अध्यापक | 31-12-2021    | आदर्श इंटर कालेज<br>बहरामपुर फ़तेहपुर | आर्य कन्या इंटर<br>कालेज बाँदा | रिक्ति के प्रति |

(सुरेन्द्र कुमार तिवारी) अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृ०सं0:सामान्य(1)तृतीय / 5 3 7 6 - 25 /2024-25 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानांतरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानांतरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानांतरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानांतरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबंधक / प्रधानाचार्य ।

5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत ) उप शिक्षा निदेशक(मा0–3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

393

जून, 2024 /2024-25 दिनांक 23

#### स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या— संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-४ में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम                               | नियुक्ति तिथि | में तत्काल प्रभाव से एतद्व                   | 4  | 5               |
|---|---------------|--|--|-----------------|
| 1                                       | 2             | 3  |  |                 |
| श्री रवि कुमार पाण्डेय<br>सहायक अध्यापक | 25-11-2021    | श्री गाँधी सार्वजनिक<br>इंटर कालेज जैथरा एटा | प0 पुरषोत्तम द्विवेदी<br>इंटर कालेज मऊ<br>चित्रकूट | रिक्ति के प्रति |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने पृ०सं0ःसामान्य(1)तृतीय / की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निर्देशक को भी सूचित् करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यिमक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानांतरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानांतरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें। संबंधित ज़िला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानांतरण आदेश का सत्यापन

- विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुत के आधार पर ही स्थानांतरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबंधक / प्रधानाचार्य ।
- संबंधित प्रधान/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत ) उप शिक्षा निदेशक (मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

392

/2024-25 दिनांक 2 %

जून, 2024

#### स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या— संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय / इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

| नाम/पदनाम                                 | नियुक्ति तिथि | कहाँ से                           | कहाँ को   | अभ्युक्ति       |
|---|---------------|-----------------------------------|---|-----------------|
| 1   | 2             | 3                                 | 4   | 5               |
| श्री आशीष कुमार<br>मिश्र<br>सहायक अध्यापक | 21-07-2010    | आदर्श इंटर कालेज<br>बिसण्डा बांदा | सेठ राधाकृष्ण पोद्वार<br>इंटर कालेज सीतापुर<br>चित्रकूट | रिक्ति के प्रति |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृठसंठःसामान्य(1)तृतीय / 5356 - 65 /2024-25 तद्दिनांक। प्रतिलिपि निम्निलिखत को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रवंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को सूचनार्थ थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित। 2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निर्देशक को इस ानदश के साथ प्रापत है। पर पर इस तब्ब को ना उनके द्वारा संस्तुत है।
 कि उक्त स्थानांतिरत प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानांतरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है।
 उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानांतरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानांतरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चत की जाए।

4- संबंधित प्रबंधक / प्रधानाचार्य।

5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

( राजर्चेत ) उप शिक्षा निदेशक(मा0–3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज। THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

391

जून, 2024 28 /2024-25 दिनांक

#### स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम के सम्मुख स्तम्भ-4                           | में अंकित विद्यालय म<br>नियुक्ति तिथि | कहाँ से                                    | कहाँ को<br>4              | अभ्युक्ति<br>5  |
|--|---------------------------------------|--|---------------------------|-----------------|
| 1<br>श्री राजेश कुमार<br>शुक्ला<br>सहायक अध्यापक | 12-02-2021                            | बुद्ध विद्यापीठ इंटर<br>कालेज सिद्धार्थनगर | अखण्ड इंटर कालेज<br>महोबा | रिक्ति के प्रति |

सूरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तद्दिनांक। 5346-55 प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल पृ०सं०ःसामान्य(1)तृतीय / कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निर्देशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा

जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानांतरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानांतरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें। 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानांतरण आदेश का सत्यापन

विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानांतरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की

कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। 4- संबंधित प्रबंधक / प्रधानाचार्य ।

5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(न्रामचेत ) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

390

/2024-25 दिनांक 2 6

जून, 2024

#### स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या— संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय / इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एवददारा स्थानान्वित किया जाता है —

| नाम / पदनाम                             | नियुक्ति तिथि | कहाँ से                       | कहाँ की                      | अभ्यक्ति        |
|---|---------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 1                                       | 2             | 3                             | 4                            | 5               |
| श्री प्रदीप कुमार सिंह<br>सहायक अध्यापक | 09-08-2012    | बुंदेलखंड इंटर कालेज<br>जालौन | राजकुमार इंटर कालेज<br>बांदा | रिक्ति के प्रति |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0:सामान्य(1)तृतीय/ 5 3 3 6 - 45 /2024-25 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्निलखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:—

1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानांतरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानांतरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानांतरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति मे निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानांतरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबंधक / प्रधानाचार्य।

5— संबंधित प्रधान/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

( राप्रस्येत ) उप शिक्षा निदेशक(मा0–3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

369

/2024-25 विनोक 2 €

जुन, 2024

#### स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या— संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

| नाम/पदनाम                        | नियुक्ति तिथि | कहाँ से                            | कहाँ को  | अभ्युवित        |
|----------------------------------|---------------|------------------------------------|--|-----------------|
| 1                                | 2             | 3                                  | 4  | 5               |
| श्रीमती प्रतिमा देवी<br>प्रवक्ता | 22-11-2021    | कस्तूरबा कन्या इंटर<br>कालेज झाँसी | प0जवाहर लाल नेहरू<br>इंटर कालेज गिरवा<br>बांदा | रिक्ति के प्रति |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृ०संवःसामान्य(1)तृतीय/ 5326-35 /2024-25 तद्दिनांक। प्रतिलिपि निम्नितिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निर्देशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निर्देशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा

जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

- 3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानांतरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानांतरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबंधक / प्रधानाचार्य।
- 5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

( सर्मचेत ) उप शिक्षा निदेशक(मा0—3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

/2024-25 दिनांक 2\_%

जून, 2024

#### स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम                             | नियुक्ति तिथि | कहाँ से                                   | कहाँ की                                 | 'अभ्युक्ति      |
|---------------------------------------|---------------|---|---|-----------------|
| 1                                     | 2             | 3   | 4                                       |                 |
| श्री देवेन्द्र कुमार<br>सहायक अध्यापक | 22-11-2021    | विद्या सदन इंटर<br>कालेज चौधाना<br>अलीगढ़ | श्री विद्यामन्दिर इंटर<br>कालेज हमीरपुर | रिक्ति के प्रति |

स्रेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तद्दिनांक। 5316-25 प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल पृ०सं०ःसामान्य(1)तृतीय / कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निर्देशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित। 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें

कि उक्त स्थानांतरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानांतरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें। 3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानांतरण आदेश का सत्यापन

- विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानांतरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रवंधक / प्रधानाचार्य।

5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत ) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

-

307

/2024-25 दिनांक

26

जून, 2024

#### स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या— संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संरथा प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके

नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदृद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम                | नियुक्ति तिथि | कहीं से                          | 4               |                 |
|----------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1                          | 2             | 3<br>0-00 <del></del>            | जनता इंटर कालेज |                 |
| श्री दीपक साहू<br>प्रवक्ता | 04-03-2021    | एम0पी0पी0 इंटर<br>कालेज बलरामपुर | खुरहंड बांदा    | रिक्ति के प्रति |

सूरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तद्दिनांक। 5306-15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल पु०सं०:सामान्य(१)तृतीय / कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निर्देशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त सगझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानांतरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानांतरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानांतरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानांतरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- संबंधित प्रबंधक / प्रधानाचार्य ।
- संबंधित प्रधान/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

( ग्रमचेत ) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

3 % 6

/2024-25 विनोक 2 8

U[F, 2024

#### रथानान्तरण आवेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथारांशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या— संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रवान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय / इण्टर कालेज के निग्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके

| नाम / पदनाम                         | नियुक्ति तिथि | कहाँ से                            | कहाँ को                                      | अभ्युवित         |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------|--|------------------|
| 1                                   | 2             | 3                                  | 4  | 6                |
| श्रीमती जानकी देवी<br>सहायक अध्यापक | 23-04-2021    | राष्ट्रीय इंटर कालेज<br>धनपुर मेरठ | श्री परमहंस<br>रणछोड़दास इंटर<br>कालेज बांदा | रिवित्त के प्रति |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रवेश।

पुठसंवःसामान्य(1)तृतीय/ ५ २ १ ६ - ५ ३ ०८ / २०२४ - २६ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित हैं कि स्थानान्तिरित प्रधान/प्रववता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तिरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यभुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तिरित प्रधान/प्रववता/अध्यापक की रोवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तिरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को सिस्चित करें। संबंधित प्रधान/प्रववता/अध्यापक को वही लाग अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहेत व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:—

- 1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेवित।
- 2— संबंधित गंडलीय संयुक्त शिक्षा निर्देशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानांतरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानांतरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानांतरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानांतरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबंधक / प्रधानाचार्य।
- 5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत ) उप शिक्षा निदेशक(मा0–3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

385

/2024-25 दिनांक 2 8

जून, 2024

#### स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यभिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या– संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से

| नाम / पदनाम     | नियुक्ति तिथि | कहाँ से             | कहाँ को                   | अभ्युक्ति       |
|-----------------|---------------|---------------------|---------------------------|-----------------|
| श्री दिलीप सिंह | 27-01-2022    | 3<br>बनारसीदास इंटर | 4<br>श्री तुलसी इंटर      | 5               |
| सहायक अध्यापक   |               | कालेज सहारनपुर      | कालेज राजापुर<br>चित्रकृट | रिक्ति के प्रति |

स्रेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृ०सं०:सामान्य(1)तृतीय / 5286-45 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निर्देशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानांतरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानांतरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानांतरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तृति के आधार पर ही स्थानांतरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबंधक / प्रधानाचार्य ।

5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

आवेश संख्या सामान्य(1)तृतीय /

3 64

/2024-25 दिनांक 5 %

जून, 2024

#### रथानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-परिध्या-840 / 15-05-2024-1600(160) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके समस्य स्तम्भ-४ में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है-

| नाम/पदनाम                   | नियुक्ति तिथि | कहीं से                                  | कही की                              | अन्युक्ति       |
|-----------------------------|---------------|--|-------------------------------------|-----------------|
| 1117 44 111                 | 2             | 3  | 4                                   | 5               |
| श्री भगत सिंह ,<br>प्रवक्ता | 29-08-2012    | राष्ट्रीय इंटर कालेज<br>हैदरगढ़ बाराबंकी | गाँधी इंटर कालेज<br>गोहाण्ड हमीरपुर | रिक्ति के प्रति |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तद्दिनांक। 5276-85 प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर रथानान्तरित विद्यालय में कार्यमार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यमार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वैतन

प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवां/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निर्देशक की भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाम अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा

जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

1— पैयितक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त रथानांतरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानांतरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानांतरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानांतरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही देतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबंधक / प्रधानाचार्य ।
- 5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

( राजवित ) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

383

/ 2024-25 दिनांक

जून, 2024

#### स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके सहायता प्राप्त नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम                                 | नियुक्ति तिथि | कहाँ से                       | कहाँ का                   | अभ्युक्ति       |
|---|---------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1   | 2             | 3                             | 4                         | <u> </u>        |
| श्री सुतीक्षण सिंह<br>गौतम<br>सहायक अध्यापक | 25-11-2021    | जन कल्याण इंटर<br>कालेज अलीगद | आदर्श इंटर कालेज<br>बांदा | रिक्ति के प्रति |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तद्दिनांक। 5266-75 प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल पु०सं०:सामान्य(1)तृतीय / कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निर्देशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाम अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानांतरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानांतरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानांतरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानांतरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4— संबंधित प्रबंधक / प्रधानाचार्य ।

5— संबंधित प्रधान/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

382

/2024-25 दिनांक 2 2 जून, 2024

#### स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यभिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या— संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यभिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके

| नाम/पदनाम                               | नियुक्ति तिथि | कहाँ से                     | कहाँ को                           | 5               |
|---|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1                                       | 2             | 3                           | 4                                 |                 |
| श्री नीलेश कुमार मिश्र<br>सहायक अध्यापक | 25-11-2021    | एस0वी0इंटर कालेज<br>हमीरपुर | श्री हनुमत इंटर कालेज<br>चित्रकूट | रिक्ति के प्रति |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृ०संवःसामान्य(1)तृतीय/ ५२ ५६ /2024-25 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल प्रार्विलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को त्रार्यभार ग्रहण करने कार्यभुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यभुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निर्देशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन की सूचना निर्देशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निर्देशक को द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि भी सूचित करें। संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानांतिरत प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानांतरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

उक्तानुसार अग्रतर ।पांचक कावपां हें जुना स्तर से ना से से निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानांतरण आदेश का सत्यापन 3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानांतरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानांतरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबंधक / प्रधानाचार्य ।

5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत ) उप शिक्षा निदेशक(मा0–3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

381

/2024-25 दिनांक 2 &

जून, 2024

#### स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्राप्त अशासकीय सहायता प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम / पदनाम                            | नियुक्ति तिथि | कहाँ से                     | कहाँ को                     | अभ्युक्ति       |
|--|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1                                      | 2             | 3                           | 4                           | 5               |
| श्री अरविंद सिंह राना<br>सहायक अध्यापक | 01-08-2008    | हुबलाल इंटर कालेज<br>उन्नाव | जय भारत इंटर कालेज<br>बांदा | रिक्ति के प्रति |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तद्दिनांक। 5246-55 पु०सं०ःसामान्य(१)तृतीय /

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निर्देशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानांतरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानांतरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानांतरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानांतरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही स्निश्चित की जाए।

4— संबंधित प्रबंधक / प्रधानाचार्य ।

संबंधित प्रधान/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

( ग्रमचीत ) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

380

/2024-25 दिनांक 🤈 💪

जून, 2024

#### स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या— संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय / इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

| नाम/पदनाम                              | नियुक्ति तिथि | कहाँ से                           | कहाँ को                            | अभ्यक्ति        |
|--|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1                                      | 2             | 3                                 | 4                                  | 5               |
| श्री धर्मेन्द्र कुमार<br>सहायक अध्यापक | 25-11-2021    | तुलाराम इंटर कालेज<br>मलपुरा आगरा | भारत भक्त समाज इंटर<br>कालेज बांदा | रिक्ति के प्रति |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृ०सं : सामान्य (1) तृतीय / 5236 - 45 / 2024 - 25 तद्दिनां क ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निर्देशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निर्देशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रवास्तक सहायक, रिवा निर्देशक (निर्देशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें
 संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निर्देशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें
 कि उक्त स्थानांतरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानांतरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है।
 उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

- 3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानांतरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानांतरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चत की जाए।
- 4- संबंधित प्रवंधक / प्रधानाचार्य।
- 5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

( रार्म्चित ) उप शिक्षा निदेशक(मा0–3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

/ 2024-25 दिनांक

जून, 2024

#### स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

| नाम/पदनाम                          | नियुक्ति तिथि | कहाँ से                                 | कहाँ को                     | अभ्युवित        |
|------------------------------------|---------------|---|-----------------------------|-----------------|
| 1                                  | 2             | 3                                       | 4                           | 5               |
| श्री चन्दन गुप्ता<br>सहायक अध्यापक | 01-07-2022    | श्री विद्यामन्दिर इंटर<br>कालेज हमीरपुर | नेशनल इंटर कालेज<br>हमीरपुर | रिक्ति के प्रति |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पु०सं०:सामान्य(1)तृतीय /

/2024-25 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिग वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रवंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानांतरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानांतरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

- 3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानांतरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानांतरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रवंधक / प्रधानाचार्य।
- 5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत ) उप शिक्षा निदेशक(मा0–3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

/2024-25 दिनांक ) 8

जून, 2024

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्निलिखित संस्था सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यागक विद्यालय/ इण्टर प्रालंज के जिल्लाहर स्वत्य ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन−पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके ख स्तम्म-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता हैं:−

| अशासकीय सहायता प्रापा उस<br>प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत<br>नाम के सम्मुख स्तम्भ 4 में अंकित वि | आवेदन-पत्र के आधार पर रूप<br>द्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द<br>किंक कहीं से | द्वारा स्थानान्तरित किया<br>कहाँ को<br>4 | अभ्युक्ति<br>5  |
|--|--|--|-----------------|
| नाम/पदनाम नियुक्ति ।   | प्राक्षण चन्द्र शर्मा  |  | रिक्ति के प्रति |
| श्रीमती रीना राजपूत<br>सहायक अध्यापक   | 017 कन्या इंटर कालेज<br>झाँसी  | Aplai                                    |                 |
|  |  |  |                 |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने पृ०संवःसामान्य(१)तृतीय / की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक् द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निर्देशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2- संबंधित गंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानांतरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानांतरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3- संबंधित ज़िला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानांतरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानांतरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही स्निश्चित की जाए।

संबंधित प्रबंधक / प्रधानाचार्य ।

संबंधित प्रधान/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

37 2

/2024-25 दिनांक

28

जून, 2024

# स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित

| 1                                  | नियुक्ति तिथि<br>2 | कहाँ से           | द्वारा स्थानान्तरित किया<br>कहाँ को | जाता है:-<br>अभ्यक्ति |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| श्री अमितेश मिश्र<br>सहायक अध्यापक | 20-11-2021         | श्री परमानंद इंटर | प0 पुरषोत्तम द्विवेदी               | 5                     |
|                                    |                    | कालेज हमीरपुर     | इंटर कालेज मऊ<br>चित्रकूट           | रिक्ति के प्रति       |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

प्0सं0ःसामान्य(1)तृतीय / 5206-15 /2024-25 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नितिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक् द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निर्देशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वहीं लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानांतरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानांतरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानांतरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानांतरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबंधक / प्रधानाचार्य ।

5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)ततीय /

376

/ 2024-25 दिनांक

जून, 2024

#### स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यभिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में के निम्नलिखित संस्था अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम                          | नियुक्ति तिथि | कहाँ से  | कहाँ को                         | अभ्युक्ति       |
|------------------------------------|---------------|--|---------------------------------|-----------------|
| 1                                  | 2             | 3  | 4                               | 5               |
| श्रीमती राघा देवी<br>सहायक अध्यापक | 12-05-2021    | स्यामी चिद्धानन्द गीता<br>विद्यालय इंटर कालेज<br>फ़िरोज़ाबाद | पालेश्वर इंटर कालेज<br>चित्रकूट | रिक्ति के प्रति |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

5196 - 5205 /2024-25 तद्दिनांक। पु०सं0ःसामान्य(1)तृतीय /

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निर्देशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानांतरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानांतरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानांतरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानांतरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबंधक / प्रधानाचार्य।

5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत ) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

375

जुन, 2024 /2024-25 दिनांक

#### स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यभिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदृद्वारा रथानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम                      | नियुक्ति तिथि | कहाँ से  | कहाँ की                         | अभ्युक्ति       |
|--------------------------------|---------------|--|---------------------------------|-----------------|
| 1                              | 2             | 3  | 4                               |                 |
| श्रीमती रोशनी<br>सहायक अध्यापक | 01-04-2022    | श्री रामप्रसाद<br>कात्याययन इंटर<br>कालेज मुजफ्फरनगर | चित्रकूट इंटर कालेज<br>चित्रकूट | रिक्ति के प्रति |

सूरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तददिनांक। 5186-95

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल पु०सं0ःसामान्य(1)तृतीय / कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निर्देशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित। 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानांतरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानांतरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें। संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानांतरण आदेश का सत्यापन

- विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानांतरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबंधक / प्रधानाचार्य ।
- संबंधित प्रधान/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

374

/ 2024-25 दिनांक 2 2

जुन, 2024

#### स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदह

| नाम / पदनाम                         | नियुक्ति तिथि | कहाँ से                      | कहाँ को  | अभ्युक्ति       |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------|--|-----------------|
| 1                                   | 2             | 3                            | 4  | 5               |
| श्री कपिल गोस्वामी<br>सहायक अध्यापक | 21-09-2010    | डी0ए0वी0 इंटर कालेज<br>महोबा | स्व0कामता प्रसाद<br>शास्त्री इंटर कालेज<br>बदौसा बांदा | रिक्ति के प्रति |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तद्दिनांक। 5176-85 पु०सं0ःसामान्य(1)तृतीय/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निर्देशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानांतरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानांतरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानांतरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानांतरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबंधक / प्रधानाचार्य ।

संबंधित प्रधान/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(नामचेत ) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, परागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

373

/2024-25 विनांक 2 8

जून, 2024

#### स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शारानादेश संख्या—840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय / इण्टर कालेज के निम्निखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम                        | नियुवित तिथि | कहाँ से   | कहाँ को                         | अभ्युवित        |
|----------------------------------|--------------|---|---------------------------------|-----------------|
| 1                                | 2            | 3   | 4                               | 5               |
| श्री सुरजन सिंह<br>सहायक अध्यापक | 30-06-2017   | श्री रघुनाथ दास<br>बुंदेलखंड विद्या मंदिर<br>इंटर कालेज झाँसी | बी०एन०बी० इंटर<br>कालेज हमीरपुर | रिक्ति के प्रति |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0:सामान्य(1)तृतीय/ 516 **६** - 75 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निर्देशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निर्देशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश रवतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:—

1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानांतिरत प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानांतरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

- 3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानांतरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानांतरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चत की जाए।
- 4- संबंधित प्रबंधक / प्रधानाचार्य।
- 5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

( र्रामचेत ) उप शिक्षा निदेशक(मा0–3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

377

/2024-25 दिनांक 2 B

जून, 2024

#### स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज अशासकाय प्राप्त तारा उज्यार नाध्यानक विद्यालय/इण्टर कालज क निम्नालाखत संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| प्रधान/प्रवक्ता/अध्यास्य<br>नाम के सम्मुख स्तम्म-4<br>नाम/पदनाम | में अंकित विद्यालय<br>नियुक्ति तिथि<br>2 | में तत्काल प्रभाव से एतद्ध<br>कहाँ से<br>3 | कहाँ को   | अभ्युक्ति<br>5  |
|---|--|--|---|-----------------|
| भी राकेश कुमार गुप्ता   | 23-11-2021                               | सार्वजनिक इंटर कालेज<br>बाबुराम कासगंज     | सेठ राधाकृष्ण पोद्वार<br>इंटर कालेज सीतापुर<br>चित्रकृट | रिक्ति के प्रति |
| सहायक अध्यापक   |  | ,  |   |                 |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निर्देशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाम अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यातय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित। जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानांतरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानांतरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें। 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानांतरण आदेश का सत्यापन
- विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति मे निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुत् के आघार पर ही स्थानांतरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की
- कार्यवाही स्निश्चित की जाए। 4- संबंधित प्रबंधक / प्रधानाचार्य ।
- 5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

371

/2024-25 दिनांक 2 **%** 

जून, 2024

#### स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में के निम्नलिखित संस्था अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके म्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:--

| नाम/पदनाम                        | नियक्ति तिथि | कहाँ से                        | कहाँ को                            | अभ्युक्ति       |
|----------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1                                | 2            | 3                              | 4                                  | 5               |
| श्री प्रखर पथिक<br>सहायक अध्यापक | 23-11-2021   | श्री जवाहर इंटर कालेज<br>जालौन | श्री राजाराम इंटर<br>कालेज हमीरपुर | रिक्ति के प्रति |

सूरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

5146 -55 /2024-25 तददिनांक।

प्र0सं0ःसामान्य(1)तृतीय / प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निर्देशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानांतरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानांतरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतुं अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानांतरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानांतरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- संबंधित प्रबंधक / प्रधानाचार्य।
- संबंधित प्रधान/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

( रामचित ) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज ।

Scanned by CamScanner

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

370

/2024-25 दिनांक 2 %

जून, 2024

#### स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके म के सम्मुख स्तम्भ-४ में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम                             | नियुक्ति तिथि | में तत्काल प्रभाव से एतद्   | कहाँ की                                 | 5               |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------|---|-----------------|
| 1                                     | 2             | 3                           | 4                                       |                 |
| प्रीमती अर्चना वर्मा<br>सहायक अध्यापक | 26-11-2019    | सरस्वती इंटर कालेज<br>बांदा | श्री विद्या मंदिर इंटर<br>कालेज हमीरपुर | रिक्ति के प्रति |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तद्दिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल् 5136-45 पृ०सं0ःसामान्य(१)तृतीय / कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रवंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक् द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निर्देशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा

जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानांतरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानांतरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें। संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानांतरण आदेश का सत्यापन

विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानांतरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही स्निश्चित की जाए।

संबंधित प्रवंधक / प्रधानाचार्य।

संबंधित प्रधान/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक (मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

369

/2024-25 दिनांक `2 8

जुन, 2024

#### स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके ब स्तम्भ-४ में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

| नाम/पदनाम                          | नियुक्ति तिथि | कहाँ से                     | कहाँ की                        | 5               |
|------------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 4                                  | 2             | 3                           | 4                              | <b>-</b>        |
| भी बृजेन्द्र कुमार<br>हायक अध्यापक | 04-09-2006    | नेशनल इंटर कालेज<br>हमीरपुर | अखण्ड इंटर कालेज<br>कबरई महोबा | रिक्ति के प्रति |

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तद्दिनांक। 5126-35 प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल पु०सं०:सामान्य(1)तृतीय/ कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानांतरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानांतरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

- 3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानांतरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानांतरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबंधक / प्रधानाचार्य ।
- 5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत ) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।